



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-09102025-266771
CG-DL-W-09102025-266771

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 35] नई दिल्ली, सितम्बर 28—अक्टूबर 4, 2025, शनिवार/ आश्विन 6—आश्विन 12, 1947
No. 35] NEW DELHI, SEPTEMBER 28—OCTOBER 4, 2025, SATURDAY/ ASVINA 6—ASVINA 12, 1947

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2025

सा.का.नि. 162.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, तकनीकी सलाहकार यूनिट (इंजीनियरी), समूह 'क' और समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2014 को, जहां तक उनका संबंध उप सलाहकार (इंजीनियरी) के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की तकनीकी सलाहकार इकाई (इंजीनियरी) में उप सलाहकार (इंजीनियरी) पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, तकनीकी सलाहकार इकाई (इंजीनियरी) उप सलाहकार (इंजीनियरी) भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**— वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम ।	पदों की संख्या ।	वर्गीकरण ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर ।	चयन या अचयन पद।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
उप सलाहकार (इंजीनियरी)	*05 (2025) (सिविल -4 विद्युत या इलेक्ट्रॉनिक-1) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 10 (56100- 177500/- रु.)	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु - सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति द्वारा।

प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति / आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति; केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारी: (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में लेवल 9 (53100-167800 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष सेवा की हो; या (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में लेवल 8 (47600 - 151100 रु.) या समतुल्य में नियमित आधार पर उस पद पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में चार वर्ष सेवा की हो; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं: सिविल इंजीनियरी (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री; और (ii) किसी सरकारी कार्यालय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्वायत्त निकाय या सांविधिक निकाय में भवनों और अन्य सिविल संकर्मों के प्राक्कलन, मूल्यांकन और तकनीकी परीक्षण में पांच वर्ष का अनुभव। विद्युत इंजीनियरी (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से	लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

विद्युत इंजीनियरी या पावर इंजीनियरी में बैचलर ऑफ इंजीनियरी या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी; और (ii) किसी सरकारी कार्यालय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्वायत्त निकाय या सांविधिक निकाय में विद्युत या इलेक्ट्रॉनिक संस्थापन में पांच वर्ष का अनुभव। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरी (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक और दूरसंचार इंजीनियरिंग या प्रकाश विज्ञान और आप्टो इलेक्ट्रॉनिक में बैचलर ऑफ इंजीनियरी या बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी; और (ii) किसी सरकारी कार्यालय या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्वायत्त निकाय या सांविधिक निकाय में विद्युत या इलेक्ट्रॉनिक संस्थापन में पांच वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1 :- प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2 :- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति कि लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		
--	--	--

[फा. सं. 213/03/2016-AVD-II]

सत्यम श्रीवास्तव, अवर सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS**(Departmental of Personnel and Training)**

New Delhi, the 26th September, 2025

G.S.R. 162.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training, Central Bureau of Investigation, Technical Advisory Unit (Engineering) Group 'A' and Group 'B' Posts Recruitment Rules, 2014 in so far as they relate to the post of Deputy Advisor (Engineering), in so far as they relate to the post of Deputy Advisor (Engineering), except as respect things done or omitted to be done before such supersession, the President, hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Deputy Advisor (Engineering) in the Technical Advisory Unit (Engineering) of the Central Bureau of Investigation in the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training, namely:-

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Personnel and Training, Central Bureau of Investigation, Technical Advisory Unit (Engineering) Deputy Advisor(Engineering) Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.— The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.— No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt such person from the operation of this rule.

5. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.— Nothing in this rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Deputy Advisor (Engineering).	*05 (2025). (Civil – 4 Electrical or Electronics – 1) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group- 'A' Gazetted, Non- Ministerial.	Level-10 (Rs. 56100- 177500) in the pay matrix.	Not applicable.

Age - limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not Applicable.	Not Applicable.	By deputation.

In case of recruitment by promotion or by deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission, to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation; Officers of the Central Government or State Governments or Union territory Administration: (a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with two years regular service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-9 (Rs. 53100-167800) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; or (iii) with four years regular service rendered after appointment to the post on a regular basis in level-8 (Rs. 47600-151100) in pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualification and experience; For Civil Engineering posts: (i) Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology degree in Civil Engineering from a recognised university or institution; and (ii) five years experience in estimation, evaluation and technical examination of buildings and other civil works in a Government Office or public sector undertaking or autonomous body or statutory body. For Electrical Engineering post: (i) Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology degree in Electrical Engineering or Power Engineering from a recognised university or institution; and (ii) five years experience in Electrical or Electronics installation in a Government Office or public sector undertaking or autonomous body or statutory body. For Electronics Engineering post: (i) Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology degree in Electronics Engineering or Electronics and Telecommunication Engineering or Optics and Optoelectronics from a recognised university or institution; and (ii) five years experience in electrical or electronics installation in a Government Office or public sector undertaking or autonomous body or statutory body. Note 1: The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately	Not Applicable.	Consultation with Union Public Service Commission in not necessary.

preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall not exceed fifty six years as on the closing date of the receipt of applications.

[F. No. 213/03/2016-AVD-II]
SATYAM SRIVASTAVA, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2025

सा.का.नि. 163.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नर्सिंग महाविद्यालय, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली में सह-आचार्य के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नर्सिंग महाविद्यालय, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और श्रीमती सुचेता कृपलानी अस्पताल, नई दिल्ली, सह-आचार्य, समूह 'क' पद, भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा, जो उक्त उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) तक में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**— वह व्यक्ति, -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए, किसी अन्य व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**— इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम ।	पद की संख्या ।	वर्गीकरण ।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर ।	चयन पद या अचयन पद ।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा ।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं ।	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
सह - आचार्य।	*6(2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-11 (67700-208700 रुपये)।	चयन।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा ।
(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)।	प्रोन्नति: वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10(56100-177500 रुपये) में नर्सिंग महाविद्यालय, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में ऐसे ट्यूटर्स जिन्होंने उस श्रेणी में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से नर्सिंग में स्नातकोत्तर के साथ नर्सिंग शिक्षा और प्रशासन में प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा, परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गयी ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की

	अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन या स्वशासी या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं के अधीन ऐसे अधिकारी:- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 10 (56100-177500/- रु) में नियुक्ति के पश्चात पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो। और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हों: आवश्यक: - किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से नर्सिंग में स्नातकोत्तर की डिग्री; - राज्य नर्सिंग परिषद द्वारा नर्स और मिडवाइफ के रूप में पंजीकृत। अनुभव: नर्सिंग में स्नातकोत्तर के साथ दस वर्ष का अनुभव, जिसमें से आठ वर्ष का शिक्षण अनुभव तथा न्यूनतम पांच वर्ष का कॉलेजिएट कार्यक्रम में अनुभव होना चाहिए। वांछनीय: किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से नर्सिंग में एम.फिल या पी. एचडी। टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किन्हीं अन्य काडर-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3: पोषक वर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।
--	---

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के सम्बंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:- - उप महानिदेशक (योजना), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - निदेशक(प्रशासन और सतर्कता), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय - नर्सिंग सलाहकार या सहायक महानिदेशक(नर्सिंग), स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय -अध्यक्ष; -सदस्य; -सदस्य;	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

4. आचार्य सह प्रधानाचार्य या आचार्य सह उप प्रधानाचार्य, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज
-सदस्य।

[फा. सं. ए.11018/01/2023-एमएच-II]

अभिषेक पाण्डेय, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 30th September, 2025

G.S.R. 163.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Associate Professor in the Ministry of Health and Family Welfare, College of Nursing, Lady Hardinge Medical College & Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, namely:—

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, College of Nursing, Lady Hardinge Medical College & Smt. Sucheta Kriplani Hospital, New Delhi, Associate Professor, Group 'A' post, Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix.— The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.— No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any such person from the operation of this rule.

5. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of posts.	Number of posts.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualification required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Associate Professor.	*6 (2025) * Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level-11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700).	Selection.	Not applicable.	Not applicable.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation / absorption, grades from which promotion or deputation / absorption is to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion, failing which by deputation (including short-term contract).	Promotion: Tutors, College of Nursing, Lady Hardinge Medical College in Level-10 (Rs. 56100-177500) in the pay matrix with five years regular service in the grade and have undergone training in Nursing Education and Administration with Post graduation in Nursing from a recognised University or Institute. Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation (including short-term contract): Officers under the Central Government or State Government or Union territory Administration or autonomous or statutory organisation or public sector undertakings or universities or recognised research institutions:- (A) (i) holding analogous	Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of: 1. Deputy Director General (Planning), Directorate General of Health Services – Chairperson; 2. Director (Administration and Vigilance), Directorate General of Health Services – Member; 3. Nursing Advisor or Assistant Director General (Nursing), Directorate General of Health Services – Member; 4. Professor-cum- Principal or Professor-cum Vice Principal, Lady Hardinge Medical College – Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

			posts on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years of regular service rendered after appointment in Pay Matrix Level-10 (Rs. 56100-177500) in the parent cadre or department. and (B) possessing the following educational qualifications and experience as under: Essential: (i) Masters degree in Nursing from a recognised University or Institute; (ii) registered as a Nurse and Midwife with a State Nursing Council. Experience: Ten years experience with Masters in Nursing out of which eight years should be teaching experience with minimum five years in collegiate programme. Desirable: M. Phil or PhD in Nursing from a recognised university. Note 1:- period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years. Note 2:- The maximum age limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. Note 3:- The departmental officers in the feeder grade who are in direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation (including short term contract). Similarly the deputationist shall not be eligible for		
--	--	--	--	--	--

			consideration for appointment by promotion.		
--	--	--	--	--	--

[F. No. A.11018/01/2023-MH-II]

ABHISHEK PANDEY, Under Secy.

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय
(पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय, शिलांग)

नई दिल्ली, 29 सितम्बर, 2025

सा.का.नि. 164.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय, शिलांग, सलाहकार (परिवहन और संचार) (समूह “क”) भर्ती नियम, 2008 को, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय, पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय, शिलांग में सलाहकार (परिवहन और संचार) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय, पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय, शिलांग, सलाहकार (परिवहन और संचार), समूह “क” पद भर्ती नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर: उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि: उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता: वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति: जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति: इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	पद की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन पद है या अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सलाहकार (परिवहन और संचार)	01* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-14 (144200 – 218200/- रु.)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) + प्रोन्नति।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(11)
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) + प्रोन्नति: केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्रों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या कानूनी या स्वशासी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी – (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-13 क (131100-216600/- रु.) में उस पद में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में दो वर्ष की सेवा की हो; या (iii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13 (123100-215900/- रु.) में उस पद में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में तीन वर्ष की सेवा की हैं; और (ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखते हैं, अर्थात्:- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से सिविल इंजीनियरी में स्नातक डिग्री ; (ii) सिविल कार्यों या पहाड़ी सड़कों के व्यवस्थापन, निष्पादन और संनिर्माण में पंद्रह वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1 : वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13 (123100-215900/- रु.) में ऐसे विभागीय अधीक्षण इंजीनियर (सिविल) जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा की है और जिनके पास प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है बाहरी वालों के साथ विचार किया जाएगा। यदि विभागीय अभ्यर्थी पद के लिए नियुक्ति हेतु चयनित हो जाता है तो वह प्रोन्नति द्वारा भरा गया माना जाएगा। टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) की अवधि है साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 58 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. NEC-17/44/2020-O/o US (NEC)]

पर्णा साहाना, अवर सचिव

MINISTRY OF DEVELOPMENT OF NORTH EASTERN REGION

(North Eastern Council Secretariat, Shillong)

New Delhi, the 29th September, 2025

G.S.R. 164.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the North Eastern Council Secretariat, Shillong, Adviser (Transport and Communication) (Group 'A') Recruitment Rules, 2008, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Adviser (Transport and Communication) in the Ministry of Development of North Eastern Region, North Eastern Council Secretariat, Shillong, namely: -

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Ministry of Development of North Eastern Region, North Eastern Council Secretariat, Shillong, Adviser (Transport and Communication), Group 'A' post Recruitment Rules, 2025.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix. - The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. - The method of recruitment, age- limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. - No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age- limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Adviser (Transport And Communication).	01 *(2025) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial.	Level- 14 (Rs. 144200 - 218200) in the pay matrix.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

Period of probation, if any.	Method of recruitment; whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or by deputation / absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Deputation (including short- term contract) plus promotion.	Deputation (including short-term contract) plus promotion: Officers under the Central Government or State Governments or Union territories or Public Sector Undertakings or recognised Universities or recognised research institutions or statutory or autonomous organizations,- (a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 13A (Rs. 131100-216600) in the pay matrix in the parent cadre or department; or (iii) with three years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in posts in level 13 (Rs.123100 - 215900) in the pay matrix in the parent cadre or department; and (b) possessing the following educational qualifications and experience, namely:- (i) Bachelors Degree in Civil Engineering from a recognised University or recognised institute;	Not applicable.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

		(ii) fifteen years experience in formulation, execution and construction of civil works or hill roads. Note 1: The Departmental Superintending Engineer (Civil) in level-13 (Rs. 123100-215900) in the pay matrix with three years regular service in the grade and having the educational qualifications and experience prescribed for considering appointment on deputation is considered along with outsiders. If the Departmental candidate is selected for appointment to the post, it shall be treated as having filled by promotion. Note 2: The period of deputation (including short-term contract) including the period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. Note 3: The maximum age- limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall not be exceeding fifty-eight years as on the closing date of the receipt of applications.		
--	--	---	--	--

[F. No. NEC-17/44/2020-O/o US (NEC)]

PARNA SAHANA, Under Secy.